संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/A11-196(1)/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 5828 दिनांक 02–11–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, रोशनाबाद, हरिद्वार को बी0–एससी0 (पी0सी0एम0 एवं जैड0बी0सी0) तथा बी0–एससी0 (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022–23 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2022–23 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	सम्बद्धता अवधि
1	2	3	4	5
01.	ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, शिव रतन सिटी सलेमपुर, रोशनाबाद, हरिद्वार।	1. बी0–एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) 2. बी0–एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) 3. बी0–एससी0(कम्प्यूटर साइंस)	60 सीट (प्रति विषय) 60 सीट (प्रति विषय) 60 सीट	2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार भवन, पुस्तकालय, पुस्तकें, फर्नीचर एवं प्रयोगशाला पूर्ण कराने के साथ–साथ पाठ्यक्रमानुसार पृथक–पृथक प्राभूति राशि के रूप में F.D.R विश्वविद्यालय के नाम बंधक रखते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान U.G.C. विनियम 2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैकल्टी नियुक्ति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

क्रमशः

संख्या : 3669 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-196(1)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, शिव रतन सिटी, महदुद, नवोदय नगर, रोशनाबाद, हरिद्वार।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
3/11/2023

(जी0डी0 नौटियाल)
कुलाधिपति के अनुसचिव।